कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला न्यायालय ग्वालियर में दुकान (फोटोकॉपी/टायपिंग) के संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक अपनी निविदायें **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से 500/– रूपये की फीस जमा कर दिनांक 08.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 09.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी तथा प्रिविड मीटिंग दिनांक 25.04.2026 को रखी गई है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in,** जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **https://gwalior.dcourts.gov.in** एवं **https://mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर
06 APR 2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: निविदा शर्तें ::

1— निविदायें **https:/mptenders.gov.in** के माध्यम से प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से दिनांक 08.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक सिर्फ **Online Mode** में ही प्राप्त की जायेगीं। उक्त निविदा दिनांक 09.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकारों के समक्ष जिला न्यायालय में गठित कय समिति द्वारा खोली जावेगी।

2— नियत दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3— निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकार के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

4— निविदा से संबंधित शर्तें एवं जानकारी उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाईट **www.mphc.gov.in,** जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in एवं https:/mptenders.gov.in** से डाउनलोड की जाकर रूपये 500/— रूपये **ऑनलाईन फीस जमा** कर दिनांक 08.05.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक **https:/mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

5— निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 50,000/— रूपये की ईएमडी राशि ऑनलाईन जमा करनी होगी।

6— जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर में स्थित दुकान (फोटोकॉपी/टायपिंग) के संचालन हेतु निविदाकार से 1 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जानी है, जिसका क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

लंबाई	चौड़ाई	कुल एरिया
3.87	3.82	14.78 वर्ग मीटर

7— निविदाकार का उक्त ठेका पूर्व से प्रचलित ठेका समाप्ति दिनांक 18.06.2026 के पश्चात से 01 वर्ष के लिये मान्य होगा एवं भविष्य में अनुबंध आपसी समझौते पर एवं निविदाकार के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन संशोधित दरों पर आगामी 01 और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

8— दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का संचालन बंद किया जाता है तो निविदाकार को उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जावेगी।

9— जिस निविदाकार द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकारों से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्तें स्वीकार होगीं उसकी निविदा पर विचार किया जायेगा। सफल निविदाकार को अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में 50,000/— रूपये की राशि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,

ग्वालियर के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी। https:/mptenders.gov.in पर सफल निविदाकार की जमा ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि AOC की कार्यवाही कर मुक्त कर दी जावेगी।

10– प्रथम पक्ष द्वारा दुकान (फोटो कॉपी/टाईपिंग) के संचालन हेतु एक वर्ष के लिये राशि 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रूपये का न्यूनतम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

11– सफल निविदाकार को निविदा राशि की 50 प्रतिशत राशि अनुबंध पत्र निष्पादित करते समय एवं 50 प्रतिशत राशि अनुबंध के 6 माह पूर्ण होने के पूर्व तक डीडी/चेक के माध्यम से एकमुश्त जमा की जावेगी। राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन के हित में राजसात की जाकर निविदा समाप्त कर दी जावेगी।

12– निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी। जिस निविदाकार द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें, उन निविदाकारों की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय विड खोली जायेगी।

13– अनुबंध की शर्तो को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लघंन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

14– माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकार को पालन करना अनिवार्य होगा।

15– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवॉर्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

16– निविदाकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

17– निविदाकार दुकान (फोटो कॉपी/टाईपिंग) संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्य क्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकार के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

18– प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

19– समय–समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान अनियमित गतिविधि पाये जाने पर निविदाकार के विरूद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

20– निविदाकार दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

21– निविदाकार दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा दुकान (फोटो कॉपी/टाईपिंग) संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकार अपने अस्थाई निर्माण को स्वंय के व्यय पर हटाएगा।

22– निविदाकार दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।

23– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) के संचालन के लिये प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।

24– निविदाकार दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

25– निविदा के साथ निविदाकार के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

26– फोटोकॉपी व टाईपिंग की दरें दुकान (फोटो कॉपी/टाईपिंग) परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

27– निविदाकार दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रति दिवस 500/– (पॉच सौ) रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

28– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) की स्वच्छता एवं सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की हो।

29– निविदाकार अनावश्यक रूप से दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 1,000/– (एक हजार) रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

30– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

31– सफल निविदाकार द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प शुल्क 1000/– पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

32– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 09 बजे से सांय 07 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकार को पूर्ण पालन करना होगा।

33– समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लघंन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियो/ पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।

34– कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को द्वितीय पक्ष का यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

35– **सफल निविदाकार द्वारा दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) हेतु फोटोकॉपी की दरें एक सा. ईड ए4 पेपर का 01 रूपये प्रति फोटोकॉपी एवं दोनो साईड की फोटोकॉपी की दर 1 रूपये 50 पैसे रखी जाकर फोटोकॉपी दुकान पर उक्त दरों की सूची लगाने एवं प्रतिमाह न्यायालय/अनुभाग के 1000 पृष्ठ की निःशुल्क फोटोकॉपी किये जाने, जिसकी पेपर शीट न्यायालय/अनुभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।**

36– सफल निविदाकार द्वारा दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) की स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर किया जावेगा।

37– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

38– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा।

39– दुकान (फोटोकॉपी/टाईपिंग) के अंदर किसी भी प्रकार का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

40– निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा के दस्तावेजों में पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

41– निविदाकार म0प्र0 का मूलनिवासी होना आवश्यक है। इस हेतु वह तकनीकी विड में दस्तावेज संलग्न करेगा।

42– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे। किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

43— प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

44— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर
06 APR 2026

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम एवं पता :—